

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़,
जिला जयपुर

गोरधन व अन्य बनाम कल्याण व अन्य

वाद पत्र संख्या 54/2022

21-03-2022 वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री राजेश कुमार पारीक ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.04.2022 को पेश हो।

[Signature]
सहायक न्यायाधीश
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

19/4/22 : पत्रावली पेश हुई। श्री राजेश पारीक द्वारा पत्रावली पूर्वानुसार वाद में तजवी/जोषी 53,188 दिनांक 30/06/22 को पेश हो।

[Signature]
सहायक न्यायाधीश
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

30/6/22 पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ता सच द्वारा फण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02/08/22 पेश हुई।

02/08/22 पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ता सच द्वारा फण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/10/22 पेश हुई।

18/10/22 पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ता सच द्वारा फण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/12/22 पेश हुई।

23/12/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
अनु०। वकील वादी तथा वादीगण
को बार-बार आवाज लगवाई गई।
लेकिन कोई उप० नहीं आया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। पत्रावली
को अदम हाजरी व अदम पैरवी में
खासियत की जाती है। पत्रावली फ़ैस
मुग़ल छोड़ नम्बर से कम हो तब
बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपस्थित अधिकारी
जमवाराम, जिला-जयपुर

वा
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14